

रफीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- / 8.7. 2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय भुगतान के लिए कुल ₹ 2.54.00.000/- (दो करोड़ चौबन लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001-जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,54,00,000/- (दो करोड़ चौबन लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- यह आवंटन सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय भुगतान के लिए दिया जा रहा है। अन्य व्ययों का भुगतान इस आवंटित राशि से नहीं किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मी नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये। अर्थात् उपर्युक्त शीर्ष से संबंधित पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त कर्मियों के ही मानदेय का भुगतान इस राशि से किया जायेगा।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पौचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

स्वीड पोस्ट/ई-मेल  
प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-

2016

विषय:- बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय भुगतान के लिए कुल ₹ 2,54,00,000/- (दो करोड़ चौबन लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-00-093-जिला स्थापनाएँ-0001- जिला प्रशासन (विपत्र कोड N2053000930001) मांग संख्या-33 के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ विषय शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिये कुल ₹ 2,54,00,000/- (दो करोड़ चौबन लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 4572 दिनांक 03.06.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
3. यह आवंटन सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन/मानदेय भुगतान के लिए दिया जा रहा है। अन्य व्ययों का भुगतान इस आवंटित राशि से नहीं किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मियों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मियों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये। अर्थात् उपर्युक्त शीर्ष से संबंधित पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्त कर्मियों के ही मानदेय का भुगतान इस राशि से किया जायेगा।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
11. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

12. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
13. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(दयानिधान .पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक संख्या-5/बजट 1-04/2016 सा10-.....22...../ पटना, दिनांक- 18-7 /2016

**प्रतिलिपि** :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय के लिए (मुख्य शीर्ष 2053-जिला प्रशासन-093-जिला  
स्थापनाएं-0001-जिला प्रशासन) आवंटन :-

क्र० सं०	जिला का नाम	व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ
1	पटना	30,00,000
2	भोजपुर	6,00,000
3	बक्सर	6,00,000
4	कैमूर(भभुआ)	5,00,000
5	औरंगाबाद	5,00,000
6	मुजफ्फरपुर	15,00,000
7	सीतामढ़ी	5,00,000
8	पूंचम्पारण	6,00,000
9	प०चम्पारण	6,00,000
10	शिवहर	3,00,000
11	वैशाली	5,00,000
12	दरभंगा	8,00,000
13	मधुबनी	7,00,000
14	समस्तीपुर	6,00,000
15	सारण	8,00,000
16	सिवान	6,00,000
17	गोपालगंज	5,00,000
18	भागलपुर	8,00,000
19	बांका	4,00,000
20	मुंगेर	6,00,000
21	लक्ष्मीसराय	4,00,000
22	जमुई	3,00,000
23	खगड़िया	5,00,000
24	बेगूसराय	5,00,000
25	पूर्णिया	6,00,000
26	कटिहार	5,00,000
27	अररिया	3,00,000
28	किशनगंज	3,00,000
29	सहरसा	5,00,000
30	मधेपुरा	4,00,000
31	सुपौल	4,00,000
32	रोहतास	7,00,000
33	नालन्दा	10,00,000
34	गया	25,00,000
35	नवादा	5,00,000
36	जहानाबाद	4,00,000
37	अरवल	3,00,000
38	शेखपुरा	3,00,000
	कुल योग -	254,00,000

(दो करोड़ चौबन लाख रुपये) मात्र।

४  
सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग